शोध मंथन Vol. XII No.I Jan.-March 2021 ISSN: (P)0976-5255 (e)2454-339X

Available at: *http:/shodhmanthan.anubooks.com*

कौशल विकास पर नगरीयवृद्धिकरण का प्रभाव

प्राप्तिः 09.03.2021
स्वीकृतः 15.03.2021

डॉ0 अपर्णा तिवारी
असि0 प्रोफे0, समाजशास्त्र विभाग
गोकुलदास हिंदू गर्ल्स कॉलेज ,मुरादाबाद
Email: dr.tiwariaparna111@gmail.com

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र "कौशल विकास पर नगरीय वृद्धिकरण का प्रभाव– एक समाजशास्त्रीय अध्ययन"के अंतर्गत शोधार्थी द्वारा नगरीय वृद्धिकरण का कौशल विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत किया है। नगरी वृद्धिकरण के फल स्वरुपग्रामीण समाज में कौशल विकास अवरुद्ध हो जाता है । ग्रामीण समाज का सर्व प्रमुख व्यवसाय कृषि है। जनसंख्या दबाव के कारण नगरीय वृद्धिकरण की प्रक्रिया के फल स्वरूप भूमि अधिग्रहण के द्वारा जब ग्रामीण समाजों की कृषि भूमि का अधिग्रहण कर लिया जाता है, ऐसी स्थिति में ग्रामीण कृषकों का अनेक पीढ़ियों के अनुभवों से प्राप्त कृषि संबंधी कार्य कौशल व्यर्थ हो जाता है। उम्र के एक पड़ाव पर आकर कृषकों के लिए किसी अन्य व्यवसाय संबंधी विशेष कार्य कौशल को प्राप्त करना संभव नहीं होता और परिणाम स्वरूप देश का बहुतायत में कृषि संबंधी कौशल श्रम व्यर्थ हो जाता है जिससे ना सिर्फ देश कुशल श्रमिकों से वंचित हो जाता है बल्कि अकुशल श्रमिकों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो जाती है।

शोधार्थी द्वारा अपने शोध प्रबंध "नगरीय वृद्धिकरण का ग्रामीण जनजीवन पर सामाजिक–आर्थिक प्रभाव–एक समाजशास्त्रीय अध्ययन"में ज्ञात किया कि आगरा नगर में नगरीय वृद्धि करण के कारण 8 जुलाई 1982 के बाद शासकीय विज्ञप्ति संख्या 26 44 संख्या 11 नवी 7–84के(1) 79के आधार पर किए गए भूमि अधिग्रहण के परिणाम स्वरूप प्रभावित क्षेत्रों में 80þ कृषक भूमिहीन हो जाने के कारण उनकी कृषि संबंधी कार्य कुशलता व्यर्थ हो गई। साथ ही कृषि कार्य के अतिरिक्त अन्य उधम में अकुशल होने के कारण वे अकुशल श्रमकी श्रेणी में आ गए और सरकार द्वारा प्राप्त मुआवजा का भी समुचित प्रयोग ना कर सके। इस प्रकार प्रस्तुत शोध पत्र के अंतर्गत शोधार्थी द्वारा कौशल विकास में नगरीय वृद्धि करण के प्रभाव का मूल्यांकन प्रस्तुत किया है।

मुख्य शब्दः *कौशल विकास, नगरीय वृद्धिकरण,कृषि कौशल, अकुशल श्रम, कुशल श्रम ,भूमि अधिग्रहण, शासकीय विज्ञप्ति, भूमि अधिग्रहण अधिनियम ,मुआवजा।*

प्रस्तावना

लोकतांत्रिक देश होने के कारण भारत एक कल्याणकारी राज्य है जिसमें समावेशी

विकास अर्थात सबका साथ सबका विकास का लक्ष्य होता है। भारत सरकार भी इसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सभी वर्गों को रोजगार मिले, इस हेतु अनेक योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें कौशल विकास एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके अंतर्गत अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देना है । केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय कौशल विकास प्राधिकरण गठित किया गया है। इसके लक्ष्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम भी बनाया गया है और इन गतिविधियों को समन्वित करने के लिए पहली बार भारत सरकार ने एक नया मंत्रालय बनाया है 'कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय' । विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े कौशल विकास कार्यक्रमों को मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है। इन प्रयासों के माध्यम से देश में स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की गई है। 15 जुलाई 2015 को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुभारंभ किया। केंद्र सरकार ने कौशल विकास और उधमिता नीति 2015 भी बनाई है । इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के आह्वान पर 15 जुलाई 2015 को पहली बार विश्व भर में युवा कौशल दिवस का आयोजन किया गया।

कौशल विकासकिसी भी देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए रीढ की हड्डी होता है। भारत सरकार भी देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास की प्राप्ति की दिशा में कौशल विकास एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। भारत युवाओं का देश है और विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है किंतु भारत में अधिकांश था श्रमिक अप्रशिक्षित एवं अकुशल होते हैं।

भारत को 2022 तक 500 मिलियन कुशल श्रम शक्ति की आवश्यकता होगी। लगभग 12 मिलियन लोग हर वर्ष श्रम शक्ति के रूप में जुड़ जाएंगे, जिसमें कौशल विकास की आवश्यकता होगी। इस दिशा में सरकार राष्ट्रीय कौशल विकास नीति, मॉड्यूलर एंप्लॉयबल स्कीम,राष्ट्रीय कौशल विकास प्राधिकरण की स्थापना, 5000000 कौशल विकास सेंटर की स्थापना आदि विभिन्न प्रयास कर रही है। इसी प्रकार भारत सरकार विभिन्न विकास उन्मुख योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु तथा जनसंख्या वृद्धि के दबाव के फल स्वरूप नगरीय वृद्धिकरण के कारण कृषि भूमि का समय–समय पर अधिग्रहण करती है। भूमि अधिग्रहण के बदले मे किसानों को उचित मुआवजा तथा पुनर्वास की व्यवस्था करती है,मगर साथ ही साथ कौशल विकास नीति पर स्वयं ही बहुत बड़ा कुठाराघात करती है। सरकार के इस कदम से जहां एक और कुशल श्रम शक्ति का हास होता है, वही दूसरी ओर अकुशल श्रम शक्ति में वृद्धि होती है जो इस देश पर अनावश्यक भार को बढ़ाती है ।

जिस प्रकार नगरीकरण का अर्थ नगरों में वृद्धि होना है , उसी भांति नगरीय वृद्धिकरण (Urban Enlargementation)नगरीय सीमा विस्तार की एक प्रक्रिया है, जिसके अनुसार नगर अपनी सीमाओं का फैलाव करता है। परिणाम स्वरूप नगर की भौगोलिक संरचना में परिवर्तन होता रहता है। यह एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। किसी भी नगर का इतिहास उठाकर

देखें तो स्वतः स्पष्ट हो जाएगा कि कोई भी नगर नगरीय वृद्धि करण की प्रक्रिया से अछूते नहीं है। यदि नगरीय वृद्धि करण को परिभाषित करें तो–

"नगरीय वृद्धि करण सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत नगर जनसंख्या दबाव के कारण अपनी भौगोलिक सीमाओं का विस्तार करते रहते हैं"।

नगरीय वृद्धिकरण की प्रक्रिया जो नगरों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ,जनसंख्यात्मक परिस्थितियों के दबाव के कारण घटित होती है, वह नगरप्र शासन द्वारा नियोजित भी हो सकती है और अनियोजित भी हो सकती है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप अनेकानेक वे ग्राम नगरीय फैलाव के कारण नगर की सीमाओं में समाहित हो जाते हैं जो नगरीय सीमा पर स्थित होते हैं। भूमि अधिग्रहण कानूनों के द्वारा जब नगर प्रशासन इन ग्रामों की कृषि भूमि का अधिग्रहण कर लेता है, तब इन ग्रामों के कृषि व्यवसाय में अनुभवी कृषको की कुशल श्रमशक्ति व्यर्थ हो जाती है और अन्य किसी उधम संबंधी कार्यकुशलता ना होने के कारण कृषि कौशल से युक्त कृषक अकुशल श्रम में परिवर्तित हो जाते हैं।

भूमि अधिग्रहण को सरकार की एक ऐसी गतिविधि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा भूमि के स्वामियों से भूमि का अधिग्रहण करती है ताकि किसी सार्वजनिक प्रयोजन या किसी कंपनी के लिए उस भूमि का उपयोग किया जा सके । आमतौर पर सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण अनिवार्य प्रकार का नहीं होता है और ना ही भूस्वामी की इच्छा पर ध्यान दिए बिना ऐसा किया जाता है। संपत्ति की मांग और अधिग्रहण समवर्ती सूची में आता है, जिसका अर्थ है केंद्र और राज्य सरकार इस मामले में अपना कानून बना सकती हैं। ऐसे अनेक स्थानीय और विशिष्ट कानून है जो अपने अधीन भूमि के अधिग्रहण प्रदान करते हैं। भूमि के अधिग्रहण से संबंधित मुख्य कानून 'भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894' है। अंग्रेजों के शासनकाल में 120 वर्ष पूर्व बने' भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894' के बदले आजादी के 66 वर्ष बाद किसानों एवं आदिवासियों के बढ़ते असंतोष एव ंविभिन्न आंदोलनों के परिणाम स्वरूप 1913 में भूमि अधिग्रहण हेतु "उचित मुआवजे का अधिकार पुनर्स्थापन, पुनर्वास एवं भूमि पारदर्शिता अधिग्रहण अधिनियम 2013" लागू किया गया जिसमें 'सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन' अधिनियम में प्रत्येक अधिग्रहण के लिए आवश्यक था, 80þ भू स्वामियों की सहमति अधिग्रहण हेतु आवश्यक थी तथा बहु फसली भूमि का अधिग्रहण किसी भी दशा में नहीं किया जा सकता था लेकिन 2015 में इस अधिनियम में कुछ संशोधन कर दिए गए जैसे– सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन की अनिवार्यता कुछ विशिष्ट (रक्षा सुरक्षा ग्रामीण बुनियादी ढांचा और औद्योगिक गलियारे) आवश्यकताओं हेतु समाप्त कर दी गई, भूमि मालिकों की सहमति आवश्यकता का प्रावधान खत्म कर दिया गया तथा बहुफसली भूमि का भी विशिष्ट आवश्यकता हेतु अधिग्रहण किया जा सकता है।

भूमि अधिग्रहण वास्तव में कृषि भूमि पर निर्भर कुशल श्रम को जीविका से वंचित करने की प्रक्रिया है जिसके कारण वीडियो से संचित कृषि कौशल एवं अनुभव का क्षय होता है, साथ ही साथ भूमि स्वामी अकुशल श्रम की श्रेणी में खड़ा हो जाता है। इस प्रकार देश के आर्थिक विकास एवं कौशल विकास की गति बाधित होती है। जब सरकार कौशल विकास की

आवश्यकता पर बल देती है तथा उसके विकास हेतु व्यय भी करती है, ऐसी स्थिति में कुशल कौशल श्रम शक्ति का ह्रास तथा अकुशल श्रम में बढ़ोतरी सरकार की कौशल विकास की नीतियों पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करते हैं।

शोधार्थी ने अपने शोध अध्ययन "नगरीय वृद्धि करण का ग्रामीण जनजीवन पर सामाजिक–आर्थिक प्रभाव –एक समाजशास्त्रीय अध्ययन" में ज्ञात किया कि नगरी वृद्धि करण के कारण आगरा नगर, जिसका विस्तार 8 जुलाई 1982 से पूर्व 81.94 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल तक था और 8 जुलाई 1982 के बाद शासकीय विज्ञप्ति संख्या 2644 संख्या 11 नवी 7–84 के(1) 79 के अनुसार विस्तार हुआ और आगरा नगर का क्षेत्रफल 120. 57 वर्ग किलोमीटर हो गया। इस प्रकार 8 जुलाई 1982 के बाद क्षेत्रफल वृद्धि 38.63 किलोमीटर हो गई। आगरा नगर के इस विस्तार के कारण 26 सीमांत ग्रामों की कृषि भूमि का अधिग्रहण कर उसे आवासीय भूमि में परिवर्तित कर दिया गया और आगरा नगर पालिका में सम्मिलित कर लिया गया। परिणाम स्वरूप जहां 1982 से पूर्व लगभग 80þ ग्रामवासी कृषि कार्य से जुड़े हुए थे वह सभी कृषक भूमि अधिग्रहण के कारण भूमिहीन हो गए और उनका स्थाई रोजगार उनसे छिन गया तथा वे जीवन यापन के लिए गैर कृषि कार्य करने लगे लेकिन क्योंकि ग्रामवासी कृषि कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी उधम में कुशल और निपुण ना होने के कारण सरकार द्वारा प्राप्त मुआवजे का समुचित उपयोग करने में भी असफल हुए और उनका आर्थिक स्तर अत्यंत निम्न हो गया जिससे ना सिर्फ उनका आर्थिक जीवन बल्कि सामाजिक जीवन भी प्रभावित हुआ। भूमि अधिग्रहण के बाद भूस्वामी कुशल श्रम की श्रेणी से निकलकर अकुशल श्रम की श्रेणी में आ गए।

प्रश्न उठता है कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? वास्तव में, देश के सर्वागीण विकास के लिए भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। अतः यह आवश्यक है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम में समुचित सुधार एवं आवश्यक प्रावधान सुनिश्चित किए जाएं ताकि जो कृषि कार्य में निपुण कौशल है, उसका भूमि अधिग्रहण से पूर्व किसी अन्य कार्य क्षेत्र से संबंधित कौशल विकास का समुचित प्रबंध किया जाए ताकि वे किसान अकुशल श्रम में परिवर्तित ना हो सके तथा सरकार द्वारा प्राप्त मुआवजे का समुचित उपयोग कर अपने परिवार का भरण पोषण कर सकने में सक्षम हो सके तथा देश के विकास में अपना योगदान दे सके।

शोधार्थी ने अपने शोध अध्ययन के दौरान यह अनुभव किया कि भूमि अधिग्रहण के कारण कृषि कार्य में निपुण कौशल शक्ति एक अकुशल श्रम शक्ति में बदल जाती है और इससे सरकार की कौशल विकास नीति को आघात पहुंचता है। साथ ही, देश को आर्थिक क्षति भी उठानी पड़ती है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि सरकार द्वारा ग्राम वासियों की कृषि भूमि को अधिग्रहण करने से पूर्व एक विशिष्ट नियोजन का आयोजन करना चाहिए और उन ग्रामों में अन्य कार्य क्षेत्रों से संबंधित कौशल विकास हेतु समुचित कार्यक्रमों का संचालन करना चाहिए, जिससे ग्राम वासियों में उनकी रूचि और योग्यता के अनुसार किसी अन्य उधम से संबंधित कार्यकुशलता को विकसित कर सकें और समुचित जीवन यापन हेतु उनको कौशल विकास के

कार्यक्रमों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाए ताकि उनमें गैर कृषि कार्यों से संबंधित कार्य कौशल का विकास संभव हो और उनमें कौशल विकास एवं उधमिता की क्षमता तथा योग्यता विकसित हो सके। इससे जब उनकी कृषि भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, तब वे गैर कृषि कार्यों में भी कौशल प्राप्त होने के कारण उनको जीवन यापन की समस्या नहीं आएगी और सरकार द्वारा प्राप्त मुआवजे का समुचित उपयोग कर पाने में वे सक्षम होंगे।

अतः भारत सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए चिन्हित ग्रामों में कौशल विकास कार्यक्रमों का समुचित संचालन एवं क्रियान्वयन हो ताकि ग्रामवासी गैस कृषि कार्यों में भी अपनी रुचि और योग्यता अनुसार समुचित प्रशिक्षण प्राप्त कर पाए और उनको अपने आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में आने वाले आमूलचूल परिवर्तन का वे सामना करने में सक्षम हो सके।

संदर्भ ग्रंथ